फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व वाद प्रकरण जीसीएमएस नंबर 2014/00144 बउनवान जोरसिंह बनाम भवानीसिंह वगैरा
वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये

74
025

पत्रावली पेश हुई। फकुलाय उपस्थित।
वादी पक्ष के अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी व प्रतिवादी संख्या 02 के अधिवक्ता श्री हनुमानसिंह चौहान की बहस सुनी गई। विद्वान वकील वादी पक्ष ने बहस के दौरान अपनी दलीलों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये:-

1. 2018 (2) RRT 1030
2. 2018 (1) RRT 292
3. RRD 2002 540, 121

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अवलोकन से ज्ञात है कि ग्राम चामुण्डेरी राणावतान के गत खसरा नंबर 1192 रकबा 12 बिस्वा गै.मु.अरठ, खसरा नंबर 1193 रकबा 49 बीघा 11 बिस्वा किस्म चाही प्रथम व खसरा नंबर 1194 रकबा 6 बिस्वा किस्म गै.मु.तेड कुल रकबा 50 बीघा 9 बिस्वा सैटलमेंट पूर्व के अधिकार अभिलेखों में चिमनसिंह पुत्र रूपसिंह , अचलसिंह पुत्र नवलसिंह व हेमसिंह पुत्र छगसिंह राजपूत बहिस्सा बराबर के खातेदार दर्ज थे। उक्त भूमि के हाल खसरा नंबर 2435 से 2446 कुल 12 खसरा बने। जिसमें से खसरा नंबर 2435 रकबा 0.10 हैक्टर किस्म गै.मु.बेरा संयुक्त खातेदारी में सभी सहखातेदारान के दर्ज किया गया। तथा खसरा नंबर 2436 से 2446 को भू-प्रबंध कार्यवाही के समय वादी संख्या 02 एवं प्रतिवादी संख्या 3/1 भंवरसिंह के आवेदन पर मौके पर काबिज अनुसार विभाजन करते हुये भू-प्रबंध विभाग द्वारा अलग-अलग पर्चा लगान जारी किया जाना ज्ञात है। वादीगण की दलील है कि प्रतिवादी संख्या 02 ने भू-प्रबंध कर्मचारियों से मिल कर पक्षकारों के मध्य असमान रूप से विभाजन करवा दिया तथा इसके साथ ही दूसरी आपत्ति यह ली गई कि चिमनसिंह के कोई गोदपुत्र न होते हुये लक्ष्मणसिंह को गोदपुत्र दर्ज करवा वह भूमि अपने नाम दर्ज करवा दी। इस प्रकार वादीगण ने भू-प्रबंध पूर्व वादीगण के पूर्वज के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा अनुसार वर्तमान कायम नये खसरा नंबर 2436 से 2446 के 1/3 हिस्सा अनुसार बने रकबा 2.87 हैक्टर की घोषणा खातेदारी के साथ विभाजन की डिक्री जारी किये जाने की मांग की गई। परंतु पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अवलोकन से ज्ञात है कि भू-प्रबंध कार्यवाही के समय वादी संख्या 02 व प्रतिवादी संख्या 3/1 के आवेदन पत्र पर सहायक भू-प्रबंध अधिकारी जोधपुर पार्टी नंबर 2 के द्वारा पत्रावली कायम करते हुये ग्राम चामुण्डेरी के हाल खसरा नंबर 2436 से 2446 का सहखातेदारान के मध्य विभाजन करते हुये मौके पर काबिज अनुसार अलग-अलग पर्चा लगान जारी किये गये। सहायक भू-प्रबंध अधिकारी व उपखण्ड अधिकारी के अधिकार समान होने से वादीगण को इस न्यायालय द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना न्यायसंगत नहीं है। विद्वान वकील वादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर सटीक नहीं है। जिससे वादीगण द्वारा ग्राम चामुण्डेरी राणावतान के हाल खसरा

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली-पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
	नंबर 2436 से 2446 कुल रकबा 8.60 हैक्टर के 1/3 हिस्से की घोषणा खातेदारी हेतु प्रस्तुत उक्त वाद खारिज किया जाता है जहां तक चिमनसिंह लक्ष्मणसिंह का गोदपुत्र नहीं होने का प्रश्न है इस बिन्दु का विनिश्चयन सक्षम सिविल न्यायालय से वादी करवा सकता है। वाद वादी खारिज किया जाता है। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।	

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

बइजलास श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

वादीगण :–

1. स्व. जोरसिंह पुत्र मोतीसिंह के वारिसानः–
   1/1. रघुवीरसिंह पुत्र स्व. जोरसिंह
   1/2. परबतसिंह पुत्र स्व. जोरसिंह
   1/3. किरण कुंवर पुत्री स्व. जोरसिंह
   1/4. छगन कुंवर पुत्री स्व. जोरसिंह
2. गुमानसिंह पुत्र मोतीसिंह जातिगण राजपूत निवासीगण चामुण्डेरी राणावतान तहसील बाली

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. स्व. लक्ष्मणसिंह गोदपुत्र चिमनसिंह के वारिसानः–
   1/1. भवानीसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह
   1/2. रणजीतसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह
   1/3. महेन्द्रसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह
   1/4. हरीसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह
2. छोगसिंह पुत्र छत्तरसिंह
3. स्व. अचलसिंह पुत्र नवलसिंह के वारिसानः–
   3/1. स्व. भोपालसिंह पुत्र अचलसिंह के वारिसानः–
      3/1/1. बागसिंह पुत्र स्व. भोपालसिंह
      3/1/2. फतेहसिंह स्व. भोपालसिंह
      3/1/3. महावीरसिंह स्व. भोपालसिंह
      3/1/4. उदयसिंह पुत्र स्व. भोपालसिंह
      3/1/5. श्रीमती धर्मीकंवर पत्नी स्व. भोपालसिंह
   3/2. शिवनाथसिंह पुत्र अचलसिंह के वारिसानः–
      3/2/1. हडमतसिंह पुत्र शिवनाथसिंह
      3/2/2. भरतसिंह पुत्र शिवनाथसिंह
   3/3. जयसिंह पुत्र अचलसिंह के वारिसानः–
      3/3/1. भंवरसिंह पुत्र स्व. जयसिंह
      3/3/2. अभयसिंह पुत्र स्व. जयसिंह
      3/3/3. शैतानसिंह स्व. जयसिंह
      3/3/4. मदनसिंह पुत्र स्व. जयसिंह जातिगण राजपूत निवासीगण चामुण्डेरी राणावतान तहसील बाली
4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) बाली

राजस्व वाद प्रकरण संख्या Gcms No. 2014/00144

वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष हाजरी वकील वादीगण व वकील प्रतिवादीगण पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् वादीगण द्वारा ग्राम चामुण्डेरी राणावतान के हाल खसरा नंबर 2436 से 2446 कुल रकबा 8.60 हैक्टर के 1/3 हिस्से की घोषणा खातेदारी हेतु प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिकारी अधिनियम, 1955 खारिज किया जाता हैं। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी किया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 07/04/25 को जारी किया गया।

मोहर

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

(दिनेश विश्नोई)

सहायक कलक्टर एवं पदेन

उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner